न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः–94 / 2018 / अपील

हीरालाल पुत्र नुकला उम्र 85 वर्ष जाति मीणा निवासी ज्ञानपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.06.2018 मु.नं. 40 / 2018 उनवानी सरकार बनाम हीरालाल द्वारा न्यायालय तहसीलदार खण्डेला

वकील अपीलांट श्री सुरजभान सिंह

निर्णय **दिनांकः–22.01.2019**

अपील में संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि हल्का पटवारी मलिकपुर ने दिनांक 15.05.2018 को तहसीलदार खण्डेला के समक्ष धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि अपीलान्ट ज्ञानपुरा के खसरा नम्बर 509 / 1 गैर मुमकिन खारड़ा पर 0.02 है0 पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिस पर अधीनस्थ तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी रकबे पर सामग्री जब्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर दिया। जिस पर अपीलान्ट ने विस्तृत जवाब दिया व कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया। अधीनस्थ तहसीलदार ने प्रार्थी को सुने बिना ही प्रश्नगत भूमि से अपीलान्ट को बदेखल करने का व 2 रूपये शास्ती दण्ड से दण्डित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व न तो हल्का पटवारी की साक्ष्य ली और न ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया और प्रार्थी को बिना सुने ही गलत आदेश पारित कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(44) में अतिक्रमी की परिभाषा बताई गई है जिसके अनुसार अतिक्रमी वह है जो बिना किसी अधिकार के भूमि पर अवैध रूप से काबिज है। प्रार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय स्वयं के द्वारा दिनांक 03.01.1976 को जारी किया हुआ पट्टा है ऐसी सूरत में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर गलत निर्णय पारित किया है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 509 / 1 कुल रकबा 15.82 है0 में से 0.75 है0 भूमि ग्राम पंचायत मलिकपुर ने आबादी के लिये आवंटन करने हेतु दिनांक 11.11.2010 को प्रस्तावित कर तहसीलदार को लिखा जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि आंवटन हेतु दिनांक 14.12.2010 को सहायक कलक्टर खण्डेला को भेजी और उन्होने अपने आदेश कमांक / अभियान / 2010 / 204–207 दिनांक 15.12.2010 को उक्त भूमि चारागाह से आबादी में परिवर्तित कर आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित कर दी और रिकार्ड में उक्त भूमि आबादी भूमि परिवर्तित हो गई, जिस पर स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास आ गया। ऐसी सूरत में प्रश्नगत भूमि पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्युत सम्बन्ध भी ले रखा है। इस तथ्य की हल्का पटवारी को जानकारी है अपीलान्ट का इस प्रकार कब्जा 43 वर्ष से है। अधिनस्थ तहसीलदार ने स्वयं ने पट्टा दिया उसके स्वयं ने ही मानने से इन्कार कर दिया। सहायक कलक्टर ने भूमि को आबादी में परिवर्तित का आदेश दे दिया, जिसका प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार ने भेजा था। सहायक कलक्टर सीकर के आदेश को नही मानकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम करने से इन्कार कर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत कृत्य किया है, इसलिए उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि प्रार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय स्वयं के द्वारा दिनांक 03.01.1976 को जारी किया हुआ पट्टा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(44) के अनुसार अतिकमी वह है जो बिना किसी अधिकार के भूमि पर अवैध रूप से काबिज है। प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का जवाब पेश किया तथा उसके सलंग्न अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टा, बिजली का बिल एवं राशन कार्ड आदि की फोटो प्रतियां पेश की। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के दौरान ग्राम पंचायत मलिकपुर के ग्राम ज्ञानपुरा की भूमि खसरा नम्बर 485 व 509/1 रकबा 0.75 है0 किस्म चारागाह में से 0.75 है0 भूमि चारागाह से आबादी विस्तार हेतु आवंटन आदेश पारित किया हुआ है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। इस प्रकार अतिकमी के विरूद्व की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकार्ड के हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से ग्राम ज्ञानपुरा की भूमि खसरा नम्बर 509/1 रकबा 15.82 है0 किस्म गै.मु.खारड़ा में से 0.02 है0 भूमि पर श्री हीरालाल पुत्र नुकला द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15.05.2018 को प्रथम आदेशिका में अंकित किया है कि अप्रार्थी को धारा 91 RLR ACT 1956 का नोटिस जारी हो। अतिकमित खसरा नम्बर के अतिकमित रकबे पर खड़ी फसल/अन्य सामग्री को जप्त सरकार कर फर्द जप्ती प्रस्तुत करने हेतु प.ह. को लिखा जावे। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अतिकमी द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिकमण करना अंकित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रथम आदेशिका दिनांक 15.05.2018 में अतिकमित रकबे पर खड़ी फसल की जप्ती हेतु पटवारी हल्का को लिखा जाना अंकित किया हुआ है। इस प्रकार प्रकरण दर्ज करते समय ही पृथम दृष्टया विरोधाभाषी रिपोर्ट सामने आई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में भूमि खसरा नम्बर 509/1 कुल रकबा 15.82 है0 में से 0.75 है0 भूमि ग्राम पंचायत मलिकपुर ने आबादी के लिये आवंटन करने हेतु दिनांक 11.11.2010 को प्रस्तावित कर तहसीलदार को लिखा गया, जिस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि आंवटन हेतु दिनांक 14.12. 2010 को सहायक कलक्टर खण्डेला को लिखा गया। सहायक कलक्टर खण्डेला द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 में अपने आदेश कमांक/अभियान/ 2010/204-207 दिनांक 15.12.2010 को उक्त भूमि चारागाह से आबादी में परिवर्तित कर आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित कर दी। उक्त भूमि की किस्म चारागाह से आबादी में परिवर्तित करने के सम्बंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह

न्यायालय ने जल्दबाजी में और सरसरी दृष्टि से व्याख्या करते हुए निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम आदेशिका एवं पटवारी रिपोर्ट विरोधाभाषी होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.06.2018 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार खण्डेला को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को पुनः सुना जाकर और पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड की पूर्ण व्याख्या करते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/1/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official